अपील सूचना अधिकार संख्या 35/2020 (GCMS 2020/00050) सुखदेव सिंह पुत्र सतनाम चन्द वीपीओ मानेवाला तहसील सूरतगढ़ (मो. 63783-85043) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ़

04.01.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुखदेव स्वयं उपस्थित नहीं है। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार, सूरतगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2020 प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुखदेव ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ से निम्न सूचना चाही थी :

1.. चक 5 एफडीएम (बी) के मुरब्बा नं. 98/339 हल्का पटवारी सूरतगढ से उसके रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
2. वर्तमान में पटवारी के रिकॉर्ड अनुसार इस जमीन पर काबिज कौन है? उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
3. आज से 10 वर्ष पूर्व पटवारी के रिकॉर्ड अनुसार इस जमीन पर काबिज कौन है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
4. यदि इसका इन्तकाल खारिज किया गया है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि व किस दिनांक को खारिज किया, किन–किन नाम से खारिज किया गया, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि देवें। (नहीं किया गया उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि देवें)
5. जमीन सम्बन्धी रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि इस न्यायालय के पत्रांक सीजी/वाचक/20/290 दिनांक 13.02.2020 से तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से अपील पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड चाहा गया था, परन्तु उनके द्वारा उक्त अपील का कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है और न ही आवेदन के प्रार्थना पत्र दिनांक 03.01.2020 द्वारा चाही गई सूचनाओं पर कोई उत्तर दिया गया है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:31 IST
Reason: SelfAttested